



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252777
CG-DL-E-09032024-252777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 155]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

सं. 19/2024-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 167(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, मध्य प्रदेश राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (ख) के बाद और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमान पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		“ (ग) भोपाल	सामान की उतराई एवं सामान की लदाई ।”।

[फा. सं. 394/36/2020-Cus(AS)]

राधे कृष्ण, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का.आ. 828 (अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 17/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 27 मार्च, 2023, सा.का.नि. 228(अ), दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

No. 19/2024-Customs (N.T.)

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:

In the said notification, in the Table, against serial number 10 relating to the State of Madhya Pradesh, in column (3), after the entry at (b) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	State/Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		“ (c) Bhopal	Unloading of baggage and loading of baggage.”.

[F. No. 394/36/2020-Cus(AS)]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note:- The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 17/2023-Customs (N.T.) dated the 27th March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 228 (E), dated the 27th March, 2023.